न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 03 / 2015

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 पूनम देवडा उर्फ प्रियंका देवडा पुत्री धर्मेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी रानीवाड़खुर्द तहसील रानीवाड़ा		1 प्रांजलदीपसिंह पुत्री रविन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी हाल मकान नं0 13 / 21 दुर्गादास कॉलोनी, पावटा 'सी' रोड़, जोधपुर
2 शेलेष कंवर पत्नी धर्मेन्दसिंह जाति राजपूत निवासी रानीवाड़खुर्द तहसील रानीवाड़ा		2 राजेन्द्रसिंह पुत्र हणवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी मकान नं013 / 21 दुर्गादास कॉलोनी, पावटा 'सी' रोड़, जोधपुर हाल 143 रामनगर, वकीलों के हत्थे के पास, वाली रोड़, आर.टी.ओ. ऑफिस के पीछे, जोधपुर
		3 धर्मेन्द्रसिंह पुत्र हणवन्तसिंह जाति निवासी हाल मकान नं0 13 / 21 दुर्गादास कॉलोनी, पावटा 'सी' रोड़, जोधपुर
		4 सब रजिस्ट्रार रानीवाड़ा
		5 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा
		6 कान्तिलाल पुत्र मोतीराम
		7 सुकीदेवी पत्नी चमनाराम
		8 कमलादेवी पत्नी चोपाराम
		9 समेराराम पुत्र कपुराराम
		10 ओबुदेवी पत्नी शंकराराम जातिगण पुरोहित निवासीगण रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री त्रिलोकचन्द मेहता, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 11/2/19

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रानीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 55 / 2013 पूनम देवडा वगैरा बनाम प्रांजलदीपसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.02.2015 के विरूद्ध पेश की, जिसे दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाडा के खसरा नम्बर 1867 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1868 रकबा 3.02 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 426 रकबा 3.24 हैक्टेयर की भूमि पूर्व में हणवन्तसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी रानीवाड़ा खुर्द की खातेदारी भूमि थी। हणवन्तसिंह फौत होने पर उक्त भूमि उनके विधिक वारिशान के तौर पर सायरकंवर पत्नी हणवन्तसिंह, राजेन्द्रसिंह, रविन्द्रसिंह, धर्मेन्द्रसिंह पि0 हणवन्तसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। अपीलाण्ट संख्या 1 धर्मेन्द्रसिंह की पुत्री है एवं अपीलाण्ट संख्या 2 धर्मेन्द्रसिंह की पत्नि है। उक्त भूमि अपीलाण्ट संख्या 1 के दादा हणवन्तसिंह की खातेदारी होने से इस भूमि में अपीलाण्ट संख्या 1 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अपीलाण्ट द्वारा अपने हक हिस्से की घोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर अपने हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषित कराने, विभाजन कराने एवं प्रतिवादीगण को अपीलाण्ट की भूमि में दखल अन्दाजी से रोकने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द कराने का निवेदन किया। इस दरम्यान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 द्वारा वादस्थ भूमि की गिफ्टडीड रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित कर दी तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत कर वादीया का वाद खारिज कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष अंकित किया कि अपीलाण्ट द्वारा उक्त रजिस्टर्ड गिफ्टडीड को निरस्त नहीं करवाया गया है एवं वादकरण उत्पन्न नहीं होने के कारण वादीया का वाद खारिज किया जाता है। विधि अनुसार उक्त गिफ्टडीड वादीया के हक हिस्से के विरूद्ध आरम्भ से ही शून्य प्रभावी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति में पुत्री का भी अधिकार माना गया है। इस अनुसार अपने दादा की सम्पति में बतौर पौत्री अपीलाण्ट संख्या 1 का जन्म से हक हिस्सा निहित है, जो अधीनस्थ न्यायालय में नहीं मान कर विधिक भूल की है। इसके अतिरिक्त सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद वहीं खारिज होता है, जो विधि द्वारा बाधित है। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कुछ नहीं है। अतः अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत एक खातेदार के जीवित रहते उसके वारिशान को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। उक्त वादस्थ भूमि का विभाजन हो चुका है तथा विभाजन होने के पश्चात उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विलेखों द्वारा हस्तान्तरित हुई है। उक्त पंजीबद्ध दस्तावेजात् को सक्षम न्यायालय द्वारा निष्प्रभावी घोषित नहीं करवाया गया है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद की आड में पंजीबद्ध दस्तावेजात् को निष्प्रभावी घोषित कराने का अनुतोष चाहा, जो राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नहीं था। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध किसी प्रकार का वादकरण उत्पन्न नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीया/अपीलाण्ट्स का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत बाधित होने के कारण खारिज किया गया। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपीलाण्ट्स की अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेखों का परीक्षण किया। प्रकरण के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर अपने दादा हणवन्तसिंह की खातेदारी भूमि, जो उनके वारिशान में अन्तरित हुई है, उसमें से अपने हक हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने, विभाजन करवाने एवं प्रतिवादीगण को उक्त भूमि में दखल अन्दाजी से रोकने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। उक्त वाद में प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादीया का वाद खारिज कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विवेचन करते हुए जैर अपील आदेश के जरिये वादहेतुक के अभाव में वाद खारिज योग्य होना मानते हुए वादीया का वाद खारिज किया। प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह प्रकट होता है कि क्या हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीया अपने दादा की सम्पति में हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है या नही ? इस सम्बन्ध में विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि पुत्र के पुत्र अथवा पुत्री को उसके दादा की सम्पति में हक अधिकार तब ही प्राप्त हो सकते है, जब उनका अपने दादा के फौत होने से पूर्व जन्म हो चुका हो। इसके अतिरिक्त पुत्रवधू का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपने ससुर की सम्पति में अधिकार नहीं माना गया है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह किसी भी रूप में स्पष्ट नहीं किया कि खातेदार हणवन्तसिंह फौत होने से पूर्व ही अपीलाण्ट पूनम का जन्म हो चुका था। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के अनुसार जब आसामी निर्वसीयती फौत होता है, तो उसके भूमि क्षेत्र में निहित उसके हित उसके व्यक्तिगत कानून के अनुसार अवतरण होंगे। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होते है, इस

कारण उनका व्यक्तिगत कानून हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया, उसके चरण संख्या 4 में उन्होंने यह अंकित किया कि वादस्थ भूमि खसरा नम्बर 1867 व 1868 कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 3.16 हैक्टेयर की भूमि पूर्व में वादीया संख्या 1 के दादाजी एवं वादीया संख्या 2 के ससुर हणवन्तसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, बाद में हणवन्तसिंह के स्वर्गवास होने के बाद उक्त आराजी भाई बंट में प्रतिवादी संख्या 3 अकेले के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 426 की भूमि हणवन्तसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, जो उनके स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तथा हणवन्तसिंह के अन्य पुत्र रविन्द्रसिंह एवं हनवन्तसिंह की पत्नी सायरकंवर के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। इस भूमि में से सायरकंवर, रविन्द्रसिंह व धर्मेन्द्रसिंह द्वारा अपना समस्त हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को गिफ्ट कर दिया। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह साबित करने में असफल रहे है कि उक्त हस्तान्तरण/विभाजन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में हुए संशोधन से पूर्व हुए अथवा पश्चात ? इस कारण अपीलाण्ट के हक अधिकारों को अवधारित किए जाने हेतु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट/वादीया का वाद खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रानीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2013 पूनम देवडा वगैरा बनाम प्रांजलदीपसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.02.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11-2-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर